IN THE COURT OF SUB-JUDGE-X, Senior Division
BHAGALPUR
T.S CASE 188/2015

02.11.2023

वादी की ओर से हाजिरी दी गयी।

अभिलेख आज की ओर से सी0पी0सी0 के आदेश–XXIII, नियम– I के एवं धारा–151 के अन्तर्गत दिनांक 05/06/2023 को एक आवेदन दाखिल किया गया है जो शपथ पत्र से समर्थित है जिसे आज की तिथि पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उपर्युक्त आवेदन की प्रति प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रदान कराया गया जिसपर प्रतिवादी द्वारा अनापत्ति दर्ज की गयी है।

वादी अपने उपर्युक्त आवेदन में अभिकथित किया है कि वादी ने वाद की अनुसूची–ए में से अपने 12 आने (75%) हिस्से के लिए वर्तमान मुकदमा दायर किया है जिसे उसने विभिन्न पंजीकृत बिक्री के आधार पर खरीदा था। सामान्य मित्र एवं शुभचिंतकों के हस्तक्षेप के बाद प्रतिवादी प्रथम पक्ष को अच्छी समझ के बाद और सभी पक्ष विपक्ष पर विचार करने के बाद उन्होंने संयुक्त रूप से अपने 25% हिस्से के संबंध में पूरी प्रतिफल राशि प्राप्त कर ली। वादी ने अनुसूची–ए संपत्ति, वादी के पक्ष में विकय विलेख संख्या–7348 दिनांक 10.05.2023 को वादी को दे दिया जिसके विकय पत्र संख्या–7348 दिनांक 10.05.2023 की प्रतिलिपि आवेदन में सलंग्न है। अंत में वादी ने प्रस्तुत वाद को वापस लिये जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद दिनांक 20.03.2015 को संस्थित किया गया था। प्रतिवादियों की ओर से उपर्युक्त आवेदन पर अनापत्ति दर्ज की गयी है। वादी का आवेदन में यह कहना है कि वादी एवं प्रतिवादी के बीच विवादों का सौहार्द्रपूर्ण ढ़ग से

02.11.2023

लगातार.....

न्यायालय के बाहर निराकरण किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि वादी वाद का स्वामी होता है सि0प्र0स0 के आदेश–XXIII, नियम– I के तहत वाद के किसी भी प्रक्रम पर वाद को वापस ले सकता है। ऐसी दशा में वादी को प्रस्तुत वाद को वापस लेने की अनुमति देना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः वादी के उपर्युक्त आवेदन दिनांक 05.06.2023 को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है, और तद्नुसार वाद को वापसी के आधार पर खारिज किया जाता है।

कार्यालय अभिलेख को अभिलेखागार में नियमानुसार जमा करें।

लेखापित

अवर न्यायाधीश–IX
भागलपुर। 02.11.2023